संख्या–एस0ई0–1987 / दस–10–बीमा–14 / 08

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 06 जनवरी, 2011

विषयः– उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न दावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–एस0ई0–2314 / दस–2008–बीमा–19 / 2002, दिनांक 08–12–2008 द्वारा सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदानों एवं उसके सापेक्ष बीमा आच्छादन की धनराशि की संशोधित दरें शासन द्वारा दिनांक 01–12–2008 से लागू की गई है। जिसके अनुसार ऐसे सरकारी सेवक, जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 5400 / – से अधिक है, की अभिदान की दरें रू0 400 / – प्रतिमाह निर्धारित करते हुए उसके सापेक्ष रू0 4.00 लाख का बीमा आच्छादन अनुमन्य कराया गया है। इस प्रकार प्रदेश के लगभग समस्त समूह 'क' श्रेणी के अधिकारियों का बीमा आच्छादन रू0 4.00 लाख हो गया है। शासनादेश संख्या–एस0ई0–684 / दस–2002–61 (ए) / 99, दिनांक 27–3–2002 द्वारा की गई व्यवस्थानुसार स्वंय आहरण वितरण अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का निस्तारण भी सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

2– उक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार पेंशन देयों की मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण के पश्चात् सभी विभागों के समूह 'क' वर्ग के समस्त अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी तथा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा अधिकरण तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों की पेंशन स्वीकृत करने का कार्य निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से किया जा रहा है, उसी प्रकार प्रदेश के ऐसे समस्त अधिकारियों, जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड पे रू0 5400 / – से अधिक है, के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का निस्तारण सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

इस व्यवस्था का कार्यान्वयन निम्न प्रकार होगाः–

(1) मासिक अभिदानों के कटौतियों के विवरण व्यक्तिगत लेजर तैयार करने हेतु अधिकारियों के नाम, उनके संवर्ग तथा विभाग का उल्लेख करते हुए प्रदेश कोषागारों से सामूहिक बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगें तथा प्राप्त विवरणों के आधार पर अधिकारियों के जी0पी0एफ0 नम्बर को आई0डी0 नम्बर के रूप में प्रयोग में लाते हुए कम्प्यूटर के द्वारा साफट्वेयर तैयार कर प्रत्येक माह लेजर तैयार किये जायेंगे। ऐसे अधिकारी जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड–पे रू0 5400/– से अधिक है, जिनके सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावों का निस्तारण इस शासनादेश के अन्तर्गत सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा किया जायेगा, उनकी रू0 5400/–तक ग्रेड–पे से संबंधित सेवा की अवधि में काटी गयी सामूहिक बीमा योजना संबंधी धनराशि का विवरण संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/कोषागार से सत्यापित कर सामूहिक बीमा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत लेजर को पूर्ण किया जा सके सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक अथवा मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे निर्धारित प्रपत्र (यथा जी0आई0एस0 प्रपत्र–26 या 27) पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार तीन–तीन प्रतियों में तैयार किये जायेगें तथा समस्त प्रपत्रों पर निर्धारित स्थान पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नाम सहित समुहर हस्ताक्षर किये जायेगें। कार्यालयाध्यक्ष स्तर के नीचे के अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी दावे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर, कार्यालयाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के दावे विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तथा विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों के सामूहिक बीमा संबंधी दावें शासन के संबंधित विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सामूहिक बीमा निदेशालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जायेगें।

(2) शासनादेश संख्या–बीमा–145/दस–9455(बी)/1992 दिनांक 05 फरवरी, 1994 द्वारा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान की प्रकिया का सरलीकरण किया गया है, जिसमें लाभार्थी को सीधे चेक भेजे जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दावा प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त सरकारी सेवक/लाभार्थी के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम व शाखा भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में सामूहिक बीमा एवं बचत योजना संबंधी प्राप्त दावे का भुगतान कर तत्संबंधी चेक सीधे अधिकारी/सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध कराये गये पते पर प्रेषित करते हुए उसकी सूचना सम्बन्धित विभाग को दी जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त व्यवस्था से संबंधित अधिकारी/लाभार्थी को

इस कल्याणकारी योजना का पूर्ण लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकेगा। यह व्यवस्था दिनांक 01–3–2011 से लागू मानी जायेगी।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–एस0ई0–1987(1)/दस–10, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3– निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– भाषा (प्रकाशन) अनुभाग को 4 प्रतियों सहित।

आज्ञा से,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।